कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com, फोन नं0–05944–240071

पत्रांक: न–3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2021 दिनांक अप्रैल 03, 2021

स्वामी/प्रबन्धक
मै0 महर्षि विद्या मन्दिर
शिमला पिस्तौर रुद्रपुर
ऊधम सिंह नगर।

विषय :– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके ऑनलाईन आवेदन यूआईडी नं0–58027007 दिनांक 20–03–2021 के अनुसार मै0 महर्षि विद्या मन्दिर शिमला पिस्तौर रुद्रपुर उधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रुद्रपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रुदपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार संस्थान में स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि मानक के अनुसार संस्थान में 90 दिवस के भीतर टैरेस टैंक क्षमता 10 हजार लीटर तथा टैरेस पम्प क्षमता 450 लीटर प्रति मिनट, प्रत्येक तल पर होजरील प्रणाली का प्राविधान कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। साथ ही अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः मै0 महर्षि विद्या मन्दिर शिमला पिस्तौर रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर द्वारा निर्देशित समयावधि के भीतर उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाऐं सु[illegible]श्चित किए जाने की स्थिती में ही यह अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 03 अप्रैल 20[illegible] से 02 अप्रैल 2022 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा :–

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के र[illegible], सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा मे अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आ[illegible]यक है।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यश[illegible] दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रो की स्थापना का [illegible]र्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोध[illegible] उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की [illegible]ापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव [illegible]दि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निम[illegible] करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्नि[illegible]न व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. **संस्थान में कम्प्यूटर** लैब एवं अन्य [illegible] संचालित किये जाने पर **कम्प्यूटर लैब में 02 अदद** सीओ2 4.5किग्रा **क्षमता अन्य** लैब में 01 अ[illegible] **एबीसी** क्षमता 05 किग्रा व **04 अदद सैण्ड बकेट** तथा जनरेटर **के पास 01 अदद एबीसी** फायर ए[illegible]क्टिंग्यूशर क्षमता 05 किग्रा तथा 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित **प्लेटफार्म का प्राविधान** किया जाना [illegible]निवार्य होगा।

ह0 (अपठनीय) [illegible]/4/21
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

CHANDRA DEO SHARMA
Digitally signed by CHANDRA DEO SHARMA
Date: 2021.09.09 13:52:00 +05'30'

PRINCIPAL
MAHARISHI VIDYA MANDIR